न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) वाराणसी।

<u>आपराधिक वाद संख्या–916 सन् 2022</u>

संजय कुमार बनाम् हरेश कुमार गुजराती

अपराध संख्या–100/2016
अंतर्गत धारा– 138बी विद्युत अधिनियम
थाना– कोतवाली
जिला–वाराणसी।

<u>दिनांक–13.08.2022</u>

1– पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

2– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्युत विभाग द्वारा निर्गत पत्र/जमा रसीद जिसे विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो कि पत्रावली में संलग्न है जिसके अनुसार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बकाया/ सम्मन शुल्क धनराशि जमा की जा चुकी है जिसके आधार पर पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। विद्युत विभाग के अधिवक्ता द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। मामला शमनीय है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त **हरेश कुमार गुजराती** के विरूद्ध अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार पंचम)
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)
वाराणसी। U.P. 6045